



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 30/2025
दिनांक 31.12.2025

प्रवेश-पत्र की उपलब्धता तिथि
16.04.2026

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
09.02.2026

राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 26.04.2026 (रविवार)

प्रथम प्रश्न पत्र :	सामान्य अध्ययन	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय प्रश्न पत्र :	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

- राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होना एवं अर्ह होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2026 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10/2025, दिनांक 31.12.2025 का अवलोकन करें। राज्य सेवा परीक्षा 2026 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 26.04.2026 को आयोजित की जाएगी।

- उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.01.2026 को से दिनांक 09.02.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें, ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उपस्थित न हो। अपरिहार्य कारणों से अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा हेतु विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की निम्नानुसार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है :-

दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 16.02.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक	ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क ₹ 3000/-
दिनांक 17.02.2026 से दिनांक 01.04.2026 (रात्रि 12:00 बजे) तक	ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क ₹ 25000/-
नोट :- विलम्ब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार प्रति सत्र ` 50/- रहेगा। त्रुटि-सुधार केवल 01.04.2026 तक किया जा सकेगा।	

- राज्य सेवा परीक्षा 2026 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

- आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी।
- आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -03 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के

	भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2.	आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2026 से 11.02.2026 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने के 15 दिवस पूर्व तक त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा।
2.	अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3.	त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-3) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4.	ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1.	शैक्षणिक अर्हता - राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 हेतु विज्ञान / इंजीनियरिंग / तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।
2.	रोज़गार पंजीयन - (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोज़गार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। (ग) मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं,

	को निम्नातनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी :- • शासकीय सेवकों हेतु :- विभाग / कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र । • अशासकीय सेवकों हेतु :- संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र । उपरोक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्नत करना अनिवार्य होगा ।
3.	नोट :- 1. शैक्षणित अर्हता तथा शेष अन्य अर्हताएं जैसे - मूल/स्थाननीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष) आदि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2026 तक जारी किए हुए होना आवश्यक है । 2. विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों हेतु भी अंतिम तिथि 09.02.2026 तक समस्तर अर्हता अर्जित होना अनिवार्य है ।
4.	I. यदि आवेदक द्वारा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्य अर्हताएं पूर्ण न होने पर भी आवेदन किया जाता है और आयोग के संज्ञान में किसी भी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं/ अन्य अर्हताएं पूर्ण न होते हुए भी आवेदन किया गया है तो आवेदक को आयोग की परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकेगा । II. यदि अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत / असत्य , त्रुटिपूर्ण जानकारी देता /देती है अथवा एक से अधिक आवेदन करता / करती है तब चयन के किसी भी स्तर पर आयोग के संज्ञान में आने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त किए जाने तथा उक्त परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं से विवर्जित किए जाने / वैधानिक कार्यवाही का सम्पूर्ण अधिकार आयोग को होगा । आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में कोई भी दस्तावेज मंगाए जाने पर उन्हें उपलब्ध करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा । इसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का न्यायालयीन वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।
F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-	
1.	इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 26.04.2026 को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक 16.04.2026 www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।
2.	आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3.	आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है । अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-	
1	उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम - 2015 (यथा संशोधित) अनुसार आयोजित की जाएगी।

2.	चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3.	चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
4.	पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
5.	चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
6.	आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5.	<u>उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक SLP 8764/2023, WP5596/2024 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।</u>

अन्य निर्देश :-

1.	विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2.	आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3.	आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.	प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5.	विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर ही प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6.	आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अर्न्तगत निम्नानुसार पदों की भर्ती, परीक्षा द्वारा किए जाने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गई है -

स.क्र.	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
			UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	सहायक वन संरक्षक (Assistant conservator of forest)	6	1	1	1	2	1	1	0	1	0
	मुख्य भाग (87%)	5	1	1	1	1	1	1	0	1	0
	प्रावधिक भाग (13%)	1	1 कान्यनिक	—	—	1	—	—	—	—	—
2	वन क्षेत्रपाल	30	0	10	20	0	0	0	0	0	0

- टीप :-
1. शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा किया है। चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है।
 2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12- एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।
 3. उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है उम्मीदवार आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)
 4. वन क्षेत्रपाल के पद हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी ही विचारित किए जाएंगे।

दो- पद का विवरण-

- (1) पद का नाम : सहायक वन संरक्षक
 विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
 श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
 पदस्थिति : स्थायी
 वेतनमान : रुपए 56,100-1,77,500/-

अर्हता :

- 1 शैक्षणिक - विज्ञान /इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।
 - 2 प्रशिक्षण - दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
 - 3 शारीरिक मापदंड एवं क्षमता परीक्षण - बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।
- कर्तव्य : वानिकी संबंधी समस्त कार्य।

- (2) पद का नाम : वन क्षेत्रपाल
 विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
 श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
 पदस्थिति : स्थायी

वेतनमान : रूपए 9300-34800 + 3600 /- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के (7वें वेतनमान अनुसार) अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

अर्हता

- 1 शैक्षणिक - विज्ञान /इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि।
- 2 प्रशिक्षण - दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 3 शारीरिक मापदण्ड एवं क्षमता परीक्षण - बिन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।

कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा।

टीप - उपर्युक्त पदों के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले उम्मीदवार उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उम्मीदवार को पद के योग्य मान लिया गया है। चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

तीन- शारीरिक मापदंड

विवरण	पुरुष	महिला
1. ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	163 से.मी.	150 से.मी.
2. ऊंचाई अनुसूचित जनजाति	152 से.मी.	145 से.मी.
3. सीने की परिधि	79 से.मी.	74 से.मी.
• न्यूनतम विस्तार	5 से.मी.	5 से.मी.
• पूर्ण विस्तारित	84 से.मी.	79 से.मी.
4. शारीरिक क्षमता परीक्षण चार घंटे पैदल चलना	25 कि.मी.	

- टीप-** (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिए जाएंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आउट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जाएगा।
- (2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
- (3) जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदण्ड को पूरा करने में अथवा शारीरिक क्षमता परीक्षण अथवा मेडिकल परीक्षण में असफल होते हैं, उनका चयन शासन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

चार- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे उम्मीदवार जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।

(2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

पांच- मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -

- (अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
- (ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

छ- आयु सीमा-

- सहायक वन संरक्षक :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।
- वन क्षेत्रपाल :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।

आयु संगणना तिथि 01.01.2026 होगी ।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिशिष्ट - 1 देखें ।

सात- महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले उम्मीदवार अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि उम्मीदवार को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार के अनर्ह पाए जाने पर उम्मीदवार का आवेदन-पत्र निरस्त कर उम्मीदवार की उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी ।

आठ- अधिवार्षिकी आयु :- सामान्य प्रशासन विभाग एवं संबंधित विभाग द्वारा समय - समय पर जारी अद्यतन अधिसूचना अनुसार

नौ- परिवीक्षा- सहायक वन संरक्षक के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

दस- अनुबंध निष्पादन- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा-

- 1 चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा ।
- 2 प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा ।

ग्यारह- चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया के पांच क्रमिक चरण होंगे -

- (I) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)
ऋणात्मक मुल्यांकन (Negative Marking) किया जाएगा । अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें ।
- (II) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)
- (III) साक्षात्कार- लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा ।
- (IV) शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण- राज्य शासन द्वारा (पुरुष उम्मीदवारों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला उम्मीदवारों को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करनी होगी।)
- (V) स्वास्थ्य परीक्षण- मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा ।
- (VI) परीक्षा योजना -

प्रारंभिक परीक्षा- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2026 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे । राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है । किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी । क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र है । प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा । यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी । इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा । अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी । प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 20 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा । Negative Marking होगी ।

- (vii) मुख्य परीक्षा :- प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी । यह परीक्षा एक प्रश्न पत्र की होगी जिसके दो खण्ड "अ" तथा "ब" होंगे तथा परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित पद्धति से ली जाएगी । ऋणात्मक मुल्यांकन (Negative Marking) किया जाएगा । मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जा रहा है।

- (viii) परीक्षा परिणामों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/ मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी ।

इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150/- रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए, जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तर का मूल्यांकन कर, परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित उम्मीदवार के समान अंक पाने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किए जाएंगे।

बारह- महत्वपूर्ण :-

- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

तेरह - अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित वर्तमान E-Mail ID पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के E-Mail ID में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नए E-Mail ID की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा E-Mail ID परिवर्तन की स्थिति में नए E-Mail ID की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने E-Mail ID पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप उम्मीदवार को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में उम्मीदवार का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें।

चौदह- राज्य वन सेवा परीक्षा 2026, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (यथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-4-2015-एक(1), दिनांक 20.12.2026) के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम आयोग की mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए गए हैं।

पंद्रह - कोविड-19 एवं संक्रामक बीमारियों के संदर्भ में केन्द्र तथा राज्य शासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सोलह- अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

- (1) आयु सीमा की छूट
- (2) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश
- (3) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारीयों
- (4) ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु

राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन क्रमांक
29/2025 दिनांक 31.12.2025 में उल्लेखित
परिशिष्ट का अवलोकन करें।


(राखी सहाय)
सचिव